



न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

प्रकरण : संख्या -

118/21 वा 5

शीर्षक

.....

बनाम

.....

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	<p>10-03-25 : पत्रा. पैरा 25। अघि. वादी एवं वादीगण अनु. प्रकरण तामील में हैं। अघि. वादी एवं वादीगण को रोक रोक कर कर बार आवाज दिलाई गई कि रू. न्यायालय समय तक कोई उप. नहीं हुआ। इसमें यह प्रतीत होता है कि वादी इस वाद के प्रति गम्भीर नहीं होकर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।</p>	
	<p>अतः वादी का यह वाद अदम हाजिरी अदम पैरवी में ब्यारिज किया जाता है। पत्रा. केवल शुमार होकर नम्बर से कमी होवे, वाद दाखिला, वाद तकमील, दाखिल दकदीर हो।</p>	